

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण-2
पटना।

पटना, दिनांक- 01/11/18

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा पुनः कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०-01/2018-19 के ग्रुप सं०-01 के कार्य Quotation for Water supply, sanitary fitting work, borewell and Internal Electrification works of Administrative Building at Nagar Panchayat Bikram के कार्य आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-876 दिनांक-28.09.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1304 दिनांक-15.10.2018 तथा संवेदक श्री अविनाश कुमार का पत्र दिनांक-25.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा मान्य एवं न्यूनतम कोटेशनदाता श्री अविनाश कुमार से दर प्रक्रमण किया गया एवं तदनुसार उनके द्वारा कार्य करने संबंधी सहमति पत्र दिया गया है।

दर प्रक्रमण के क्रम में मदवार (कुल 96 मदों के कार्य हेतु) कुल राशि ₹ 1633099.00 पर कार्य करने हेतु सहमति पत्र दिया गया है।

कोटेशन में दर निर्धारण भवन निर्माण विद्युत संबंधी अनुसूचित दर पुस्तिका, भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग दर पुस्तिका के आधार पर किया गया है।

तदनुसार उक्त कोटेशन जिसकी कुल 96 मदों के लिए दर प्रक्रमण के उपरान्त मदवार दर एवं कुल राशि ₹ 16,33,099/- (सोलह लाख तैंतीस हजार निनानवे) रूपये मात्र है पर न्यूनतम कोटेशनदाता श्री अविनाश कुमार को उक्त कार्य आवंटित किया जाता है।


तदनुसार कार्यपालक अभियंता, डुडा-2, पटना सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

कार्य निम्न निदेशों के अनुरूप करायेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि कोटेशन आमंत्रण सूचना के अनुरूप 03 (तीन) माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. कोटेशन आमंत्रण सूचना के शर्तों के अनुरूप कार्य विशिष्टियों के अनुसार करायेंगे।
4. सभी विद्युत सामग्रियों के अधिष्ठापन में व्यवहार में लगने वाले तार/केबल हैवेल्लस/Finolex मेक BIS स्टैंडर्ड का लगाना होगा।
5. कार्य पूर्ण होने के बाद उसका रख-रखाव अगले तीन वर्षों तक करनी होगी। जिसके लिए कोई अन्य राशि भुगतने नहीं होगी।
6. तकनीकी पर्यवेक्षण मापी पुस्त पर अंकित करने का कार्य कार्यपालक अभियंता, डुडा करेंगे एवं सभी सामग्रियों को निर्धारित मानक के अनुसार व्यवहार में लाया गया है यह सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त ही भुगतान किया जाएगा।

7. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय। एकरारनामा से पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँच मूल पत्रों से कर आश्वस्त हो लेंगे।
8. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
9. अगर कोटेशन में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं कोटेशन का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निर्देश प्राप्त नहीं हो जाय।
10. सामाग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य परिमाण विपत्र में दिए गए विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय तथा संतुष्ट होकर भुगतान किया जाय।
11. आप से प्राप्त सभी कोटेशन कागजात एवं वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
12. कार्य का एकरारनामा F2 Form पर कोटेशन आमंत्रण सूचना में दी गई शर्तों का पूर्णतः पालन करते हुए किया जाय। कार्य को N.I.Q के सभी शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण होने के तिथि के बाद से तीन वर्ष मेनटेन/रख-रखाव करना होगा, तथा N.I.Q में दिए गए मेक के आधार सामाग्रियों की आपूर्ति कर कार्य कराया जाय।

अनु०:- कोटेशन संबंधी अभिलेख मूल में एवं तुलनात्मक विवरणी के साथ।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।